अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023– **/ पटना, दिनांक....................**

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– **अन्य विभागों / निगमों द्वारा कालीसूची में डाले गये / मुक्त किये गये संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर विभागीय संसूचन हेतु अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० एवं लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कतिपय संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने / मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम / निबंधन संख्या	विभाग / निगम का नाम	ज्ञापांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	संवेदक Adarsh Builders Engicon Pvt. Ltd, At:-Add-H. No.-288, Professor Colony, Near Bed College, P.O-Kashipur, Dist-Samastipur, Bihar, Pin-8481010 (Reg. No–2220705)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7313 दिनांक–10.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3194 दिनांक–13.03.2026 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकरण आदेश को रद्द किया गया है।
2	संवेदक Adarsh Builders Engicon Pvt. Ltd, At:-Add-H. No.-288, Professor Colony, Near Bed College, P.O- Kashipur, Dist-Samastipur, Bihar, Pin-8481010 (Reg. No–2220705)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7312 दिनांक–10.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3195 दिनांक–13.03.2026 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकरण आदेश को रद्द किया गया है।

3	संवेदक Raushan Kumar, Add:-S/O-Yogendra Bhadaiswar Ward No-16, Vill-Bhatawari Panchyat-Kalapatti, P.S-Phulparash Sugapatti, Dist-Madhubani, Bihar, Pin-847409 (Reg. No-1210421)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक—7314 दिनांक—10.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक—3981 दिनांक—30.03.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए किये गये कालीकृत आदेश को यथावत रखा गया है।
4	संवेदक Pankaj Construction, Prop-Arvind Kumar Singh, House No.-118, Gali No.-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas, Pin-821115 (Reg. No-BCD-1220039 Class-I)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक—5620(भ) दिनांक—18.06. 2026	भवन निर्माण विभाग का आदेश सह—पठित—ज्ञापांक—2772(भ) दिनांक—20.03.2026 द्वारा संवेदक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किये जाने संबंधी आदेश को यथावत रखा गया है।
5	संवेदक श्री अमित कूमार, मुहल्ला—विजयनगर, पो०—लोहियानगर, थाना—पत्रकारनगर, जिला—पटना, पिन-800026 (एकरारनामा सं०-01SBD/2018-19)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक—3442 दिनांक—19.06. 2026	जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या—772 दिनांक—02.03.2020 द्वारा निर्गत कालीकरण आदेश को यथावत रखते हुए।
6	संवेदक Pankaj Construction, Prop-Arvind Kumar Singh, House No.-118, Gali No.-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas, Pin-821115 (Reg. No-BCD-1220039 Class-I)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक—5619(भ) दिनांक—18.06. 2026	भवन निर्माण विभाग का आदेश सह—पठित—ज्ञापांक—2773(भ) दिनांक—20.03.2026 द्वारा संवेदक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किये जाने संबंधी आदेश को यथावत रखा गया है।
7	संवेदक Marut Nandan, Add:-S/O-Satyendra Singh, Mahatma Gandhi Nagar, Arrah, Bhojpur, Bihar, Pin-802301 (Reg. No-1230176)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक—7263 दिनांक—09.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक—2675 दिनांक—26.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए Blacklist आदेश को यथावत रखा गया है।
8	संवेदक M/S Raja Construction, Add:-Taj Colony, Panchayati Khara, Dist-Gaya, Pin-823001 (Reg. No-1250265)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक—7307 दिनांक—10.06. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
9	संवेदक M/S Sunayna & Sons Construction, Prop-Brajmohan Pal, Holding No-24, Chaudhary Tola, Mahendru, Patna Pin-800006 (सूचीबद्धता सं०-1885/2019 Class-2)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक—1032 दिनांक—19.06. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) ''एकरारनामा में विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक'' हेतु संवेदक को 05 (पाँच) वर्षों के लिए कालीसूची में दर्ज किया गया है।
10	संवेदक श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+ पो०—जमालपुर लालगंज, जिला—वैशाली, पिन-844121 (एकरारनामा सं०-06SBD/2020-21)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक—3371 दिनांक—17.06. 2026	जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या—1816 दिनांक—06.04.2026 द्वारा 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश को यथावत रखा गया है।

11	संवेदक Pawan Tanay Construction, Add:-At-West Police Line, P.O+P.S-Rampur, Dist-Gaya, Pin-823001 (Reg. No-1230493)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7265 दिनांक–09.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–2173 दिनांक–18.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए किये गये कालीकृत आदेश को यथावत रखा गया है।
12	संवेदक M/S Brigade Construction, At-Ramnagar, P.O-Polytechnic, P.S-Maranga, Dist-Purnea, Bihar, Pin-854303 (Reg. No-1240101)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7261 दिनांक–09.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–1863 दिनांक–12.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए Blacklist आदेश को यथावत रखा गया है।
13	संवेदक M/S Raja Construction, Add:-Taj Colony, Panchayati Khara, Dist-Gaya, Pin-823001 (Reg. No-1250265)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8243 दिनांक–24.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–7307 दिनांक–10.06.2026 द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया गया है, परन्तु इन्हें चेतावनी दी गई है कि Contract के अनुसार कार्रवाई करें।
14	संवेदक Md. Arzoo Choudhary, Add:-Pramanik Tola, P.O+P.S-Aabadpur, Dist-Katihar, Bihar, Mob No-9801272109	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	ज्ञापांक–4538 दिनांक–18.06. 2026	संवेदक को कालीकरण से मुक्त किया है।
15	संवेदक Pramod Kumar Singh, At:-Bansa, P.O-Karwandiya, P.S-Sasaram, Dist-Rohtas, Pin-821305	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०	ज्ञापांक–1426 दिनांक–08.06. 2026	निगम के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 9(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06. 2015 के कंडिका 8, 1(b) के तहत 15 (पन्द्रह) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
16	संवेदक मशरूम अहमद एस० कंस्ट्रक्शन, प्रो०–मुहम्मद साने अली, ग्राम–अलीनगर, पो०–औरंगाबाद, बिहार, पिन-824101 (एकरारनामा सं०-01SBD/2025-26)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–3468 दिनांक–22.06. 2026	जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या–1206 दिनांक–26.02.2026 द्वारा निर्गत संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकरण आदेश को यथावत रखा गया है।
17	संवेदक श्री सचिन कुमार सिंह, ग्राम+पो०–पवार, थाना–पावना, जिला–भोजपुर (आरा), पिन-802201 (निबंधन सं०-MWRD1124C11N5017 श्रेणी–1)	लघु जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–4180 दिनांक–24.06. 2026	लघु जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या–20 सह–पठित ज्ञापांक–422 दिनांक–19.03.2026 द्वारा उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत आदेश को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः काली सूची में डाले गये एवं निलंबित किये गए संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाय।

2. कॉलम 4 में अंकित संबंधित विभाग के पत्र का संदर्भ भी लिया जाना आवश्यक होगा।

3. यह सूचना केवल विभागीय संसूचन एवं परिचालन के लिए है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023–   / पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह--विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (रुपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आपके विभाग से संबंधित प्रविष्टि में अशुद्धि परिलक्षित होने पर अवगत कराने की कृपा की जाए।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त

–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023– 5139(E)wo   / पटना, दिनांक 24/7/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) / कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त

–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

आई० टी० मैनेजर

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023– **/ पटना, दिनांक.....................**

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– **अन्य विभागों / निगमों द्वारा कालीसूची में डाले गये / मुक्त किये गये संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर विभागीय संसूचन हेतु अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० एवं लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कतिपय संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने / मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम / निबंधन संख्या	विभाग / निगम का नाम	ज्ञापांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	संवेदक Adarsh Builders Engicon Pvt. Ltd, At:-Add-H. No.-288, Professor Colony, Near Bed College, P.O-Kashipur, Dist-Samastipur, Bihar, Pin-8481010 (Reg. No–2220705)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7313 दिनांक–10.06.2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3194 दिनांक–13.03.2026 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकरण आदेश को रद्द किया गया है।
2	संवेदक Adarsh Builders Engicon Pvt. Ltd, At:-Add-H. No.-288, Professor Colony, Near Bed College, P.O- Kashipur, Dist-Samastipur, Bihar, Pin-8481010 (Reg. No–2220705)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7312 दिनांक–10.06.2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3195 दिनांक–13.03.2026 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकरण आदेश को रद्द किया गया है।

3	संवेदक Raushan Kumar, Add:-S/O-Yogendra Bhadaiswar Ward No-16, Vill-Bhatawari Panchyat-Kalapatti, P.S-Phulparash Sugapatti, Dist-Madhubani, Bihar, Pin-847409 (Reg. No-1210421)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7314 दिनांक–10.06.2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3981 दिनांक–30.03.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए किये गये कालीकृत आदेश को यथावत रखा गया है।
4	संवेदक Pankaj Construction, Prop-Arvind Kumar Singh, House No.-118, Gali No.-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas, Pin-821115 (Reg. No-BCD-1220039 Class-I)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–5620(भ) दिनांक–18.06.2026	भवन निर्माण विभाग का आदेश सह–पठित–ज्ञापांक–2772(भ) दिनांक–20.03.2026 द्वारा संवेदक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किये जाने संबंधी आदेश को यथावत रखा गया है।
5	संवेदक श्री अमित कूमार, मुहल्ला–विजयनगर, पो०–लोहियानगर, थाना–पत्रकारनगर, जिला–पटना, पिन-800026 (एकरारनामा सं०-01SBD/2018-19)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–3442 दिनांक–19.06.2026	जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या–772 दिनांक–02.03.2020 द्वारा निर्गत कालीकरण आदेश को यथावत रखते हुए।
6	संवेदक Pankaj Construction, Prop-Arvind Kumar Singh, House No.-118, Gali No.-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas, Pin-821115 (Reg. No-BCD-1220039 Class-I)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–5619(भ) दिनांक–18.06.2026	भवन निर्माण विभाग का आदेश सह–पठित–ज्ञापांक–2773(भ) दिनांक–20.03.2026 द्वारा संवेदक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किये जाने संबंधी आदेश को यथावत रखा गया है।
7	संवेदक Marut Nandan, Add:-S/O-Satyendra Singh, Mahatma Gandhi Nagar, Arrah, Bhojpur, Bihar, Pin-802301 (Reg. No-1230176)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7263 दिनांक–09.06.2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–2675 दिनांक–26.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए Blacklist आदेश को यथावत रखा गया है।
8	संवेदक M/S Raja Construction, Add:-Taj Colony, Panchayati Khara, Dist-Gaya, Pin-823001 (Reg. No-1250265)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7307 दिनांक–10.06.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षो के लिए Blacklist किया गया है।
9	संवेदक M/S Sunayna & Sons Construction, Prop-Brajmohan Pal, Holding No-24, Chaudhary Tola, Mahendru, Patna Pin-800006 (सूचीबद्धता सं०-1885/2019 Class-2)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक–1032 दिनांक–19.06.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) ''एकरारनामा में विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक'' हेतु संवेदक को 05 (पाँच) वर्षों के लिए कालीसूची में दर्ज किया गया है।
10	संवेदक श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो०–जमालपुर लालगंज, जिला–वैशाली, पिन-844121 (एकरारनामा सं०-06SBD/2020-21)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–3371 दिनांक–17.06.2026	जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या–1816 दिनांक–06.04.2026 द्वारा 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश को यथावत रखा गया है।

11	संवेदक Pawan Tanay Construction, Add:-At-West Police Line, P.O+P.S-Rampur, Dist-Gaya, Pin-823001 (Reg. No-1230493)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7265 दिनांक–09.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–2173 दिनांक–18.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए किये गये कालीकृत आदेश को यथावत रखा गया है।
12	संवेदक M/S Brigade Construction, At-Ramnagar, P.O-Polytechnic, P.S-Maranga, Dist-Purnea, Bihar, Pin-854303 (Reg. No-1240101)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–7261 दिनांक–09.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–1863 दिनांक–12.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए Blacklist आदेश को यथावत रखा गया है।
13	संवेदक M/S Raja Construction, Add:-Taj Colony, Panchayati Khara, Dist-Gaya, Pin-823001 (Reg. No-1250265)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8243 दिनांक–24.06. 2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–7307 दिनांक–10.06.2026 द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया गया है, परन्तु इन्हें चेतावनी दी गई है कि Contract के अनुसार कार्रवाई करें।
14	संवेदक Md. Arzoo Choudhary, Add:-Pramanik Tola, P.O+P.S-Aabadpur, Dist-Katihar, Bihar, Mob No-9801272109	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	ज्ञापांक–4538 दिनांक–18.06. 2026	संवेदक को कालीकरण से मुक्त किया है।
15	संवेदक Pramod Kumar Singh, At:-Bansa, P.O-Karwandiya, P.S-Sasaram, Dist-Rohtas, Pin-821305	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०	ज्ञापांक–1426 दिनांक–08.06. 2026	निगम के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 9(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06. 2015 के कंडिका 8, 1(b) के तहत 15 (पन्द्रह) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
16	संवेदक मशरूम अहमद एस० कंस्ट्रक्शन, प्रो०–मुहम्मद साने अली, ग्राम–अलीनगर, पो०–औरंगाबाद, बिहार, पिन-824101 (एकरारनामा सं०-01SBD/2025-26)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–3468 दिनांक–22.06. 2026	जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या–1206 दिनांक–26.02.2026 द्वारा निर्गत संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकरण आदेश को यथावत रखा गया है।
17	संवेदक श्री सचिन कुमार सिंह, ग्राम+पो०–पवार, थाना–पावना, जिला–भोजपुर (आरा), पिन-802201 (निबंधन सं०-MWRD1124C11N5017 श्रेणी–1)	लघु जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–4180 दिनांक–24.06. 2026	लघु जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या–20 सह–पठित ज्ञापांक–422 दिनांक–19.03.2026 द्वारा उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत आदेश को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः काली सूची में डाले गये एवं निलंबित किये गए संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाय।

2. कॉलम 4 में अंकित संबंधित विभाग के पत्र का संदर्भ भी लिया जाना आवश्यक होगा।

3. यह सूचना केवल विभागीय संसूचन एवं परिचालन के लिए है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त –सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023–   / पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता (रुपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आपके विभाग से संबंधित प्रविष्टि में अशुद्धि परिलक्षित होने पर अवगत कराने की कृपा की जाए।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023– 5139 (E) / पटना, दिनांक 24/7/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/ कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

17.07.26

D:\Avinash Work Folder\Black Listing, Suspension Letter of Other Dept..docx

1593
5772698
16/06/2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Adarsh Builders Engicon Private Limited, (Reg. No. 2220705) Add:- At-H.No.288, Professor Colony, Near Bed College, P.O- Kashipur, Dist- Samastipur, Bihar Pincode- 848101 के निबंधन को **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3194** दिनांक **13.03.2026** द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत किये जाने के विरूद्ध दिनांक 06.04.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

27/05/2026

आदेश

याचिकाकर्त्ता/संवेदक Adarsh Builders Engicon Private Limited की ओर से राम शोभित सिंह एवं विभाग की ओर से सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर उपस्थित।

प्रस्तुत मामला **PMGSY-III** योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के अधीन Construction of Box Bridge at ch- 1+265 Km in Ballipur to Nakta Chowk via Warishnagar Road (Tender ID-134678) पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किए जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर का सकारण आदेश ज्ञापांक 2871 दिनांक 12.12.2025 द्वारा एकरारनामा विखंडित किया गया। तदोपरांत संवेदक के निबधन को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक **3194 दिनांक** 13.03.2026 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 06.04.2026 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

मूल अभिलेखों के साथ अंकित प्रकाश, सहायक अभियंता, उपस्थित हैं। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रगति प्रतिवेदन दोनों कार्यों में क्या था तथा 13.12.2025 के कतिपय कार्य फोटोग्राफ संलग्न हैं, जो 28 नं0 प्रोजेक्ट के हैं। जहां तक 27 नं0 प्रोजेक्ट का प्रश्न है, दिसंबर 2025 में डायवर्सन का कार्य किया गया था।

जहां तक अंकित किये गये नोटिस का प्रश्न है, अपीलार्थी ने नोटिस के साक्ष्य पर प्रश्न चिन्ह किया है तथा उनका कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी के समक्ष ही सहायक अभियंता द्वारा कार्यपालक अभियंता से बात करते हुए कार्यपालक अभियंता के ईमेल आई0 डी0 को खोला गया। 18 जून 2025 को ईमेल तथा 30 अक्टुबर 2025 को ईमेल चेक किया गया है एवं पाया गया कि अभिलेख में रखे गये ईमेल का स्क्रीनशॉट गलत है। यही नहीं संचिका में लगा हुआ ईमेल में जिन आई डी पर ईमेल भेजा गया है वह आई डी अपीलार्थी का है भी नहीं। ऐसी स्थिति में PMGSY के SBD की कंडिका 6.1 के तहत नोटिस का तामिला नहीं होने के कारण ये माना जा सकता है कि उनके द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है।

उपरोक्त सभी तथ्यों के अवलोकन से अपीलार्थी के अपील को स्वीकार करते हुए **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3194 दिनांक 13.03.2026** द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकरण आदेश को रद्द किया जाता है साथ ही संचिका में रखे गलत कागजात के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता पर नियमानुकुल कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्रशाखा को निदेशित किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

2068
19/6/26

(1592)

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–11 / 2026 7313 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–11 / 2026 7313 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–11 / 2026 7313 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–11 / 2026 7313 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि– उप सचिव (निगरानी), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
सरकार के उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–11 / 2026 7313 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि– संवेदक Adarsh Builders Engicon Pvt. Ltd. (Reg. No. 2220705), At-Add-H. No.-288 Professor Colony, Near Bed College, P.O-Kashipur, Dist-Samastipur, Bihar Pincode 8481010 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
सरकार के उप सचिव

Website

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–11 / 2026 7313 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
सरकार के उप सचिव

25

5772730
16/06/2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Adarsh Builders Engicon Private Limited, (Reg. No. 2220705) Add:- At-H.No.288, Professor Colony, Near Bed College, P.O- Kashipur, Dist- Samastipur, Bihar Pincode- 848101 के निबंधन को **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3195** दिनांक 13.03.2026 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरूद्ध दिनांक 06.04.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

27/05/2026

आदेश

याचिकाकर्त्ता/संवेदक Adarsh Builders Engicon Private Limited की ओर से राम शोभित सिंह एवं विभाग की ओर से सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर उपस्थित।

प्रस्तुत मामला PMGSY योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के अधीन Construction of Box Bridge at ch- 3+645 Km in T01 Khanpur to Mananpur Via Shadipur Road (Tender ID-136738) पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किए जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर का सकारण आदेश ज्ञापांक 2870 दिनांक 12.12.2025 द्वारा एकरारनामा विखंडित किया गया। तदोपरांत संवेदक के निबंधन को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक **3195 दिनांक 13.03.2026** द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 06.04.2026 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

मूल अभिलेखों के साथ अंकित प्रकाश, सहायक अभियंता, उपस्थित हैं। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रगति प्रतिवेदन दोनों कार्यों में क्या था तथा 18.12.2025 के कतिपय कार्य फोटोग्राफ संलग्न हैं, जो 28 नं0 प्रोजेक्ट के हैं। जहां तक 27 नं0 प्रोजेक्ट का प्रश्न है, दिसंबर 2025 में डायवर्सन का कार्य किया गया था।

जहां तक अंकित किये गये नोटिस का प्रश्न है, अपीलार्थी ने नोटिस के साक्ष्य पर प्रश्न चिन्ह किया है तथा उनका कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी के समक्ष ही सहायक अभियंता द्वारा कार्यपालक अभियंता से बात करते हुए कार्यपालक अभियंता के ईमेल आई0 डी0 को खोला गया। 18 जून 2025 को ईमेल तथा 30 अक्टुबर 2025 को ईमेल चेक किया गया है एवं पाया गया कि अभिलेख में रखे गये ईमेल का स्क्रीनशॉट गलत है। यही नहीं संचिका में लगा हुआ ईमेल में जिन आई डी पर ईमेल भेजा गया है वह आई डी अपीलार्थी का है भी नहीं। ऐसी स्थिति में PMGSY के SBD की कंडिका 6.1 के तहत नोटिस का तामिला नहीं होने के कारण ये माना जा सकता है कि उनके द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है।

उपरोक्त सभी तथ्यों के अवलोकन से अपीलार्थी के अपील को स्वीकार करते हुए विभागीय **सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3195 दिनांक 13.03.2026** द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकरण आदेश को रद्द किया जाता है साथ ही संचिका में रखे गलत कागजात के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता पर नियमानुकुल कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्रशाखा को निदेशित किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

(1590)

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–01/2026 7312 /पटना, दिनांक–10.6.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–01/2026 7312 /पटना, दिनांक–10.6.26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–01/2026 7312 /पटना, दिनांक–10.6.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–11/2026 7312 /पटना, दिनांक–10.6.26

प्रतिलिपि– उप सचिव (निगरीन), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–01/2026 7312 /पटना, दिनांक–10.6.26

प्रतिलिपि– संवेदक Adarsh Builders Engicon Pvt. Ltd. (Reg. No. 2220705), At-Add-H. No.-288 Professor Colony, Near Bed College, P.O-Kashipur, Dist-Samastipur, Bihar Pincode 8481010 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

Website

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–01/2026 7312 /पटना, दिनांक–10.6.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

5772662
16/06/2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Raushan Kumar, (Reg. No. 1210421) Add:- So Yogendra Bhadaiswar Ward No 16 Village Bhatwari Panchayat Kalapatti P.S- Phulprash Sugapatti, Dist- Madhubani Bihar Pincode:- 847409 के निबंधन को **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–3981 दिनांक 30.03.2026** द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत किये जाने के विरूद्ध दिनांक 09.04. 2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

27/05/2026

आदेश

याचिकाकर्त्ता/संवेदक संवेदक Raushan Kumar, (Reg. No. 1210421) Add:- So Yogendra Bhadaiswar Ward No 16 Village Bhatwari Panchayat Kalapatti P.S- Phulprash Sugapatti, Dist- Madhubani Bihar Pincode:- 847409 एवं विभाग की ओर से सहायक अभियंता उपस्थित।

प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के अधीन MMGSY योजनान्तर्गत निविदा (Tender ID-141221) में गलत/फर्जी Audit Report समर्पित करने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक **3981 दिनांक 30.03.2026** द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 09.04.2026 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि संदर्भित निविदा इनके CA ने गलती से Financial Year 2023-24 की Audit Report में गलत रकम अंकित कर दी थी।

सुनवाई में याचिकाकर्त्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि संदर्भित निविदा मे Audit Report उनके CA द्वारा गलत अपलोड कर दी गयी।

पक्षो को सुनने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार के कागजात अपलोड करने के लिए संवेदक स्वयं जिम्मेदार होते है चाहे वे CA से कराये या स्वयं की जानकारी के बावजूद भी निविदा में भाग लिया गया। ऐसी स्थिति मे यह प्रमाणित होता है कि Audit Report फर्जी था तथा इसकी जानकारी संवेदक को भी थी।

अतएव याचिकाकर्त्ता/संवेदक द्वारा कालीकृत आदेश के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 3981 दिनांक 30.03.2026** द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए किये गये कालीकृत (Blacklist) आदेश को यथावंत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

1588

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–317 / 2025 7314 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–11 / 2026 7314 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–317 / 2025 7314 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि-- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह--अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
सरकार के उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–317 / 2025 7314 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि-- संवेदक Raushan Kumar, (Reg. No. 1210421), Add- S/O Yogendra Bhadaiswar Ward No. 16 Village Bhatawari Panchayat Kalapatti, P.S- Phulparash Sugapatti, Dist-Madhubani, Bihar Pincode 847409 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
सरकार के उप सचिव

Website

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–317 / 2025 7314 / पटना, दिनांक– 10.6.26

प्रतिलिपि-- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10-06-2026
सरकार के उप सचिव

25

आ0सं0:–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–15/2026............................दिनांक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सकारण आदेश

समस्तीपुर जिलान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर में अतिरिक्त 300 शैय्यावाले बालक छात्रावास (G+5), 200 शैय्यावाले बालक छात्रावास (G+3) दो अद्द ब्लॉक, सहायक प्राध्यापकों के लिए Studio Apartment (G+3), Type C (G+5) (Guest ouse/Prof/ Asso./ Asst.Prof.) के निर्माण कार्य हेतु संवेदक मेसर्स पंकज कंस्ट्रक्शन (Reg No.-1220039 Class-I) प्रो.श्री अरविन्द कुमार सिंह आवास सं.–118, गली नं०–15, महावीर स्थल, गौरक्षणी, सासाराम, रोहतास द्वारा एकरारनामा सं०–01SBD/2025-26 Dtd-07.04.2025 के माध्यम से एकरारनामा सम्पन्न कर कार्य को प्रारंभ किया गया।

2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा उक्त कार्य का औचक निरीक्षण के क्रम में निर्माण स्थल पर नींव के ढलाई कार्य में लोकल बालू/मिट्टी डालकर ढलाई का कार्य करते हुए पाया गया। जिसकी सूचना उनके पत्रांक–1018, दिनांक–23.05.2025 द्वारा संवेदक को दी गयी एवं संवेदक द्वारा गलत/मिलावटी सामग्रीयों का उपयोग करने के आरोप में कराये गये सभी कार्यों की पूर्ण जाँच होने तक अगले किसी भी भुगतान पर रोक लगा दी गयी।

3. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक–1124, दिनांक–06.06.2025 के आलोक में उक्त निर्माण कार्य की जाँच राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), पटना की एक टीम द्वारा की गयी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), पटना के पत्रांक–903, दिनांक–12.08.205 एवं पत्रांक–1097 दिनांक–24.09.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संवेदक द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक से अत्यंत कम बताया गया।

4. उक्त कार्य की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–8147, दिनांक–01.09.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच दल द्वारा भी उक्त कार्यों का निरीक्षण दिनांक–03.09.2025 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में Engineering college Samastipur के कार्यो के विभिन्न भवनों की जाँच के फलस्वरूप विभिन्न भवनों का Raft Foundation के Concrete का avg. Compressive Strength 5-15 N/mm^2 तक पाया गया, जो मानक से काफी कम है। जबकि निरूपण के अनुसार Raft Foundation के Concrete का न्यूनतम Compressive Strength 25 N/mm^2 तक होना चाहिए।

5. संयुक्त जाँच दल द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन पर निर्णय लिये जाने हेतु मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा कराये गये नींव के कार्यो की गुणवत्ता मानक से अत्यन्त कम पाई गई है जो कि निर्माण हेतु अनुपयुक्त है एवं उक्त गुणवत्ता के नींव पर किये जाने वाला निर्माण कार्य भविष्य में उपयोग के लिए असुरक्षित होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा कराये गये कार्यो की गुणवत्ता मे कमी, गंभीर चूक की श्रेणी में आता है, जिसका सुधार संभव नहीं है। अतः उक्त सभी भवनों यथा 300 शय्या वाले बालक छात्रावास (G+5), 200 शैय्या वाले बालक छात्रावास (G+3) Block "A" & Block "B" सहायक प्राध्यापकों के लिए Studio Apartment (G+5) एवं Type C (G+5) (Guest House/Prof/Asso./Asst.Prof.) के नींव को तथा नींव के उपर के कार्यो को तोड़ते हुए सभी Debris को कार्य स्थल से दूर संवेदक अपने खर्च पर पर्यावरणीय अनुकूल ढ़ंग से पत्र प्राप्ति के 60(साठ) दिनों के अन्दर Dispose off करेंगे। Dismantled materials i.e. rubbish, stone chips, sand, reinforcements etc का पुनः उपयोग इस योजना में किसी भी रूप में नहीं किया जा सकेगा। यदि संवेदक द्वारा उक्त कार्य को तय समय सीमा में तोड़कर हटाया नहीं जाता है तो एकरारनामा के विखण्डन की स्थिति में Defaulter यानि संवेदक से Risk & Cost

1586

का दायित्व का निर्धारण करते हुएं विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर राशि की वसूली संवेदक से की जायेगी। साथ ही अन्य विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी ।

6. समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेशवाद सं0–18668/2025 दायर किया गया । जिसमें दिनांक–04.12.2025 को oral order पारित किया गया कि:– "The present writ application has been preferred against the order dated 13.10.2025, issued by the Executive Engineer, Building Division, Samastipur, whereby the petitioner/contractor has been directed to demolish the constructed structure on the ground that it suffers from quality deficiencies as indicated in the test report of the National Institute of Technology, Patna.

(i) It has been submitted by learned counsel for the petitioner that a fresh test be conducted by an independent agency, namely, the Indian Institute of Technology, Patna. Learned Advocate General has no objection to the same.

(ii). In these circumstances, it is directed that a fresh test Patna High Court CWJC No.18668 of 2025(2) dt.04-12-2025 2/2 report in respect of the work executed by the petitioner shall be obtained from the Indian Institute of Technology, Patna, and submitted within a period of six weeks.

(iii). Till submission of the said report, no demolition shall be carried out at the site in question. During the conduct of the tests, the petitioner or his authorised representative shall remain present, and a copy of the report shall be supplied to the petitioner in advance".

7. माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच IIT Patna से करायी गयी। जिसमें भी संवेदक द्वारा कराये गये कार्य की गुणवत्ता काफी निम्न पायी गयी।

8. उक्त कार्य के विरूद्ध विभिन्न गुणवत्ता संबंधी जाँच प्रतिवेदन में संवेदक द्वारा कराये गये कार्य की गुणवत्ता मानक से काफी निम्न पाये जाने के आधार पर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक–379, दिनांक–17.02.2026 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1437 दिनांक–24.02.2026 द्वारा संवेदक, Pankaj Construction,(Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत कालीकृत करने हेतु अनुशंसा की गयी।

9. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण हेतु दिनांक–09.03.2026 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा संवेदक, Pankaj Construction, (Prop-Arvind Kumar Singh), House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 (Reg.No.-BCD-1220039 Class-I) से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया, साथ ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–2269(भ) दिनांक–09.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं पत्रांक–2312(भ)अनु०, दिनांक–10.03.2026 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया। तदोपरांत संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–13.03.2026 को समर्पित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि भवन निर्माण विभाग के निर्देशानुसार उक्त सभी भवनों के नींव को एवं नींव के उपर के कार्यो को तोड़ते हुए सभी Debris को कार्य स्थल से दूर अपने खर्च पर पर्यावरणीय अनुकूल ढंग से Dispose off किया जा रहा है तथा Dismantled Materials i.e, rubbish, stone chips, sand, reinforcements etc. का पुनः उपयोग इस योजना में किसी भी रूप में नहीं किया जा रहा है। उक्त सभी कार्य अपने निजी व्यय पर विभागीय निर्देशो के अनुरूप सम्पन्न कराया जा रहा है। जिसे शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा ।

(1585)

10. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण हेतु दिनांक–19.03.2026 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा संवेदक, Pankaj Construction (Prop-Arvind Kumar Singh), House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram से प्राप्त स्पष्टीकरण पर गहन समीक्षा की गयी। समिति द्वारा समीक्षोपरांत संवेदक को दोषी मानते हुए इनके निबंधन को दस (10) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय आदेश सह–पठित–ज्ञापांक–2772(भ) दिनांक–20.03.2026 द्वारा संवेदक, Pankaj Construction (Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 (Reg.No.-BCD-1220039 Class-I) को आदेश निर्गत होने की तिथि से दस (10) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया।

11. उक्त ओदश के विरूद्ध संवेदक के पत्रांक–53 दिनांक–15.04.2026 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि विभाग के निर्देशानुसार उक्त सभी भवनों के नींव को एवं नींव के उपर के कार्यो को तोड़ते हुए सभी Debris को कार्यस्थल से दूर करने की कार्रवाई किया जा रहा है। जल्द ही उक्त सभी भवनों का निर्माण कार्य गुणवत्ता मानक के अनुरूप प्रारंभ करा दिया जायेगा।

उक्त अपील अभ्यावेदन के क्रम में दिनांक–29.05.2026 को सुनवाई निर्धारित की गयी, जिसमें संवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई के क्रम में भी संवेदक द्वारा विभाग के निर्देशानुसार उक्त सभी भवनों के नींव एवं नींव के उपर के कार्यो को तोड़ते हुए अपने निजी व्यय पर सभी Debris को कार्यस्थल से दूर करने के साथ–साथ जल्द ही उक्त सभी भवनों का निर्माण कार्य गुणवत्ता मानक के अनुरूप प्रारंभ कराने की बात को स्वीकार किया गया।

12. उक्त अपीलीय सुनवाई में मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा भी अवगत कराया गया कि संवेदक द्वारा कराये गये नींव से संबंधित कार्यों की जाँच (भुगतान से पूर्व) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा NIT Patna से कराया गया। जिसमें कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक से काफी निम्न पाया गया। तत्पश्चात् भवन निर्माण विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा भी विषयांकित कार्यों की जाँच करायी गयी, जिसमें भी कार्यों की गुणवत्ता मानक से काफी निम्न पाई गयी। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मुख्य अभियंता (उत्तर),भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा कराये गये सभी निर्माण कार्य को तोड़ने एवं वातावरणीय अनुकूल ढंग से इसका निष्तार कराते हुए पुनः निर्माण हेतु संवेदक को निदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेशवाद सं०–18668/2025 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कराये गये कार्यों की जाँच IIT Patna से कराने का निदेश दिया गया। IIT Patna के जाँच प्रतिवेदन में भी कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक से काफी निम्न पाया गया।

इस प्रकार संवेदक द्वारा इतने महत्वपूर्ण कार्य को मानक विशिष्टियों एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से नहीं करना, उनके कार्य के प्रति लापरवाही एवं तकनीकी अक्षमता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक, Pankaj Construction (Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 को कालीकृत किये जाने संबंधित अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिये गये आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ह0/–
(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–15 / 2026........................ पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः–संवेदक, Pankaj Construction,(Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 (Reg.No.-BCD-1220039 Class-I) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–15 / 2026..5620 (नि)........पटना,दिनांक– 18/6/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

16/6/26

पत्र संख्या –26 / विविध–06–20 / 2019–............................/

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री अमित कुमार, संवेदक के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन (दिनांक–06.04.2026) पर सुनवाई की गयी। अवलोकनोपरांत पाया गया कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, सीतामढ़ी के अंतर्गत एकरारनामा सं0–01SBD/2018-19 दिनांक–15.10.2018 के तहत मनुषमारा नदी के पानी को बागमती नदी में गिराने एवं उसके तटबंधो के पुनर्स्थापित का कार्य एकरारनामा के पश्चात ससमय प्रारम्भ नहीं करने के आरोप के लिए उक्त एकरारनामा संख्या को विखंडित कर दिया गया एवं संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करते हुए विभागीय आदेश सं0–772 दिनांक–02.03.2020 द्वारा संवेदक को 10 वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें लगाये गये आरोपो का खंडन करते हुए अनुरोध किया गया कि कालीकरण आदेश 772 दिनांक–02.03.2020 को रद्द किया जाय।

2. संचिका में उपलब्ध अभिलेखों/पत्रों से स्पष्ट होता है कि कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु बार–बार दिये गये निदेश एवं एकरारनामा विखंडित करने के नोटिस के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की दिशा में कोई अभिरूची नहीं ली गयी फलस्वरूप एकरारनामा के SBD Clause-3 के अंतर्गत उक्त एकरारनामा को विखंडित किया गया एवं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) (ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में पाते हुए संवेदक को कालीकृत किया गया। एकरारनामा विखंडन के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-14550/2019 दायर किया गया।

3. संवेदक द्वारा पूर्व में समर्पित अपील अभ्यावेदन (दिनांक–01.02.2021) को विभागीय आदेश ज्ञापांक–2106 दिनांक–02.08.2021 द्वारा संवेदक द्वारा दायर CWJC No.-14550/2019 में न्याय निर्णय पारित होने तक कालीकण आदेश को सशर्त्त स्थगित करते हुए निस्पादित किया गया कि स्थगन आदेश माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा परंतु संवेदक द्वारा उक्त CWJC No.-14550/2019 को दिसम्बर 2022 में वापस ले लिया गया था ऐसी स्थिति में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2106 दिनांक–02.08.2021 द्वारा कालीकरण आदेश को स्थगित रखने संबंधी आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है एवं विभागीय आदेश सं0–772 दिनांक–02.03.2020 वर्तमान में प्रभावी है की सूचना विभागीय पत्रांक–1716 दिनांक–30.03.2026 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना को उनके पत्रांक–459 दिनांक–11.02.2026 के आलोक में दी गयी। संवेदक द्वारा CWJC No.-14550/2019 वापस लेने के लगभग 04 वर्षो के बाद एकरारनामा विखंडन के विरूद्ध पुनः फरवरी 2026 में CWJC No.-2975/2026 दायर किया गया जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

1582

4. संवेदक द्वारा कालीकरण आदेश के विरूद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अप्रैल 2026 में CWJC No.-6587/2026 दायर किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

चूँकि संवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य/तथ्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा एकरारनामा के पश्चात ससमय कार्य प्रारम्भ करने का समुचित प्रयास किया गया था।

अतएव विभागीय आदेश सं0–772 दिनांक–02.03.2020 द्वारा निर्गत कालीकरण आदेश को यथावत रखते हुए संवेदक श्री अमित कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

19.06.26
(चंद्रशेखर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 26/विविध–06–20/2019 पटना/दिनांक :..

प्रतिलिपिः– श्री अमित कुमार, मुहल्ला–विजयनगर, पोस्ट–लोहियानगर, थाना–पत्रकारनगर, जिला–पटना पिन कोड–800026 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–20/2019 3442 पटना, दिनांक :19.06.2026

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

(1581)

आ0सं0:–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–11 / 2026..........................दिनांक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

5807699
23.06.2026

सकारण आदेश

6341
23 JUN 2026

गया जी जिलान्तर्गत Construction of 20 Unit P.O Quarter (G+5) 4 Unit of such type i.e, 80 P.O Qtr. And Community center in Judicial Colony, Gaya including electrification Work के निर्माण कार्य हेतु संवेदक, Pankaj Construction, (Prop-Arvind Kumar Singh), House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 के द्वारा एकरारनामा सं०- (SBD-01/2023-24), Dated-07-08-2023 के माध्यम से एकरारनामा सम्पन्न कर कार्य प्रारंभ किया गया।

2. उक्त निर्माण कार्य की जाँच मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के उड़नदस्ता दल संख्या–01 के द्वारा दिनांक–21.11.2025, 25.11.2025, 01.12.2025 एवं 04.12.2025 को की गयी। जाँच के क्रम में भवन के प्रत्येक ब्लॉक में नींव की ढ़लाई Raft Foundation के बीच Bricks Bats पाया गया। मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में योजना की जाँच पुनः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (IIT Patna) के विशेषज्ञ दल द्वारा करायी गयी। जाँचोपरांत उक्त भवन के नींव में पायी गयी तकनीकी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए इनके निराकरण संबंधी प्रतिवेदन दिया गया, जो निम्न प्रकार है :–

I. योजना अन्तर्गत निर्मित सभी 04 भवनों के राफ्ट फाउंडेशन (Raft Foundation) में प्रयुक्त कंक्रीट का स्ट्रेंथ मानक से काफी कम पाया गया ।

II. सभी 04 भवनों के राफ्ट के नीचे की मिट्टी (subsoil) की जाँच Specialised Soil investigation Technique से की गयी। जाँच के आधार पर यह पाया गया कि राफ्ट फाउण्डेशन के नीचे 8 से 12 मीटर Soft to Medium Stiff Soil Layer है।

III. सभी 04 भवनों के Raft Foundation के नीचे के Soil Layer को Deep Seated Grouting के माध्यम से मजबूतीकरण किया जाना आवश्यक है।

IV. सभी 04 भवनों के Column Node के निकट माइक्रोपाईल के द्वारा मजबूतीकरण किया जाना आवश्यक है।

V. सभी 04 भवनों के Existing Raft में Grouting के द्वारा Restoration करना ताकि Concrete का मानक के अनुसार Strength प्राप्त किया जा सके ।

3. संयुक्त सचिव, प्रभारी निगरानी प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1044(भ)अनु०, दिनांक–30.01.2026 द्वारा मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अभियंता प्रमुख–सह–अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को समर्पित करते हुए निर्माण कार्य में पायी गयी त्रुटियों से संबंधित तकनीकी बिन्दुओं की समीक्षा कर संबंधित संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

4. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन / कालीकरण हेतु दिनांक–17.02.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक, Pankaj Construction, (Prop-Arvind Kumar Singh), House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–2268(भ) दिनांक–09.03.2026 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस संदर्भ में संवेदक द्वारा कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

1580

5. पुनः अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण हेतु दिनांक–09.03.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक, Pankaj Construction,(Prop-Arvind Kumar Singh), House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–2275(भ) दिनांक–10.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं पत्रांक–2312(भ)अनु०, दिनांक–10.03.2026 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया । तत्पश्चात संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि विषयांकित कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप कराने के लिए IIT Patna के विशेषज्ञ एवं संबंधित कार्यो हेतु दक्ष फर्म के साथ मिलकर कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप अपने निजी व्यय पर कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही उक्त भवनों का गुणवत्ता प्रदान करने का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

6. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण दिनांक–19.03.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक, Pankaj Construction (Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram से प्राप्त स्पष्टीकरण पर गहन समीक्षा की गयी । समिति द्वारा समीक्षोपरांत संवेदक को दोषी मानते हुए इनके निबंधन को दस(10) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय आदेश सह–पठित–ज्ञापांक–2773(भ), दिनांक–20.03.2026 द्वारा संवेदक, Pankaj Construction (Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 (Reg.No.-BCD-1220039 Class-I) को आदेश निर्गत होने की तिथि से दस (10) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया।

7. उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक के पत्रांक–54 दिनांक–15.04.2026 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया गया। अपने अपील अभ्यावेदन में संवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप करने के लिए आई०आई०टी० के विशेषज्ञ एवं संबंधित कार्य हेतु दक्ष फर्म के साथ मिलकर कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप अपने निजी व्यय पर कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही विभाग के निर्देशानुसार उक्त भवनों की गुणवत्ता प्रदान कर कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

उक्त अपील अभ्यावेदन के क्रम में दिनांक–29.05.2026 को निर्धारित सुनवाई हेतु संवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान भी संवेदक द्वारा विभाग के निर्देशानुसार विषयांकित कार्यो की गुणवत्ता मानक के अनुरूप कराने के लिए IIT, Patna के विशेषज्ञ एवं संबंधित कार्य हेतु दक्ष फर्म के साथ मिलकर अपने निजी व्यय पर कार्य पूर्ण कराने की बात को स्वीकार किया गया।

उक्त अपीलीय सुनवाई के क्रम में मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी अवगत कराया गया कि उड़नदस्ता दल संख्या–01 द्वारा उक्त कार्य की गुणवत्ता की जाँच की गयी । जाँच में उक्त भवन के नीव कार्य में गम्भीर तकनीकी त्रुटियां पायी गयी । जिसके पश्चात् इसकी जाँच IIT, Patna के विशेषज्ञ दल से भी करायी गयी। जाँचोपरांत IIT, Patna द्वारा भी उक्त भवन के नींव में तकनीकी त्रुटियाँ बतायी गयी।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा भवन के प्रत्येक ब्लॉक में नींव की ढलाई में मानक के अनुरूप गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। IIT Patna के विशेषज्ञ दल के द्वारा भी भवन के नींव में तकनीकी त्रुटियां बतायी गयी। यह संवेदक की विभागीय कार्य की प्रति गलत मानसिकता एवं घोर लापरवाही का द्योतक है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक, Pankaj Construction (Prop-Arvind Kumar Singh), House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 को कालीकृत किये जाने संबंधित अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिये गये आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ह0/–
(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–11/2026.................. पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः–संवेदक, Pankaj Construction,(Prop-Arvind Kumar Singh),House no-118, Gali No-15, Mahavir Asthan, Gaurakshni, Sasaram, Rohtas-821115 (Reg.No.-BCD-1220039 Class-I) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–11/2026 5619 (अ) पटना,दिनांक– 18/6/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
16/6/26

कम्प्यूटरीकृत क्र०
पंजीयन संख्या
पंजीयन सं० 5811469
दिनांक 23/06/2026

(15708)

6345
23 JUN 2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Marut Nandan, (Reg. No. 1230176) Add:- S/O Satyendra Singh, Mahatma Gandhi Nagar, Arrah, Bhojpur Bihar, Pincode-802301 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक– 2675 दिनांक 26.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 09.03.2026 को समर्पित अपील के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

27/05/2026

आदेश

याचिकाकर्त्ता/संवेदक Marut Nandan, S/O Satyendra Singh, Mahatma Gandhi Nagar, Arrah, Bhojpur Bihar, Pincode-802301 उपस्थित।

प्रस्तुत मामला भवन निर्माण विभाग के अधीन संवेदक द्वारा Construction of Panchayat Sarkar Bhawan at Village Chilhaush and Ramashadh under Block Sandesh, Bhojpur for year 2024-25 के निर्माण कार्य की निविदा में गलत अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किये जाने के कारण विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–2675 दिनांक 26.02.2026 द्वारा संवेदक Marut Nandan को अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 09.03.2026 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कालीसूची से मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

सुनवाई के क्रम में संवेदक/याचिकाकर्त्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि संदर्भित निविदा में साईबर कैफे द्वारा किसी अन्य संवेदक के बहकावे में आकर गलत अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड कर दिया गया है।

पक्षों को सुनने के उपरांत यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार के कागजात अपलोड करने के लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होते हैं चाहे कोई भी कागजात किसी के द्वारा अपलोड किया गया हो।

अतएव याचिकाकर्त्ता/संवेदक द्वारा कालीकरण आदेश के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–2675 दिनांक 26.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकरण (Blacklist) आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

2657
24/06/26

24/06/26

25.06.26

30/6/26

1577

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–337/2025 7263 /पटना, दिनांक– 09.06.2025

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रभात चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–337/2025 7263 /पटना, दिनांक– 09.06.2025

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–337/2025 7263 /पटना, दिनांक– 09.06.2025

प्रतिलिपि– ~~सचिव के प्रधान आप्त सचिव,~~ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–337/2025 7263 /पटना, दिनांक– 09.06.2025

निबंधित

प्रतिलिपि– संवेदक Marut Nandan, (Reg. No. 1230176), Add- S/O Satyendra Singh, Mahatma Gandhi Nagar, Arrah, Bhojpur, Bihar, Pincode-802301 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

25

कम्प्यूटरीकृत
पंजीयन संख्या
पंजीयन सं०- 5811345
दिनांक- 23/06/2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक M/S Raja Constrution(Regd. No-1250265), Add-Taj Colony, Panchayati khara, Dist-Gaya, Pin-823001 को ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत पथ निर्माण हेतु संवेदक M/S Raja Construction(Regd. No-1250265) को कुल 05(पांच) पैकेज आवंटित किया गया।

उक्त पैकेज निम्नवत है:–

क्र0सं0	पैकेज संख्या	एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि
1	RRSMP/24-25/Imamganj/01	07.05.2025	06.05.2026
2	RRSMP/24-25/Imamganj/02	07.05.2025	06.05.2026
3	RRSMP/24-25/Imamganj/03	08.05.2025	07.05.2026
4	RRSMP/24-25/Imamganj/04	08.05.2025	07.05.2026
5	RRSMP/24-25/Imamganj/05	08.05.2025	07.05.2026

एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा सभी पैकेज के अधीन समानुपातिक रूप से पथ निर्माण कार्य नहीं कराने के कारण संवेदक के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु मुख्य अभियंता-02(गया) के पत्रांक 2070 अनु0 दिनांक 15.10.2025 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। अनुशंसा के आलोक में संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 25.11.2025 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए खादान में समाग्री की अनुपलब्धता का उल्लेख किया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज द्वारा संवेदक के स्पष्टीकरण पर उपलब्ध कराये गये मंतव्य के अनुसार पैकेज संख्या 1, 2, 3 एवं 5 में 25% से भी कम काम हुआ है। पैकेज संख्या–4 में 50% से भी कम काम हुआ है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी पांच पैकेज में से चार पैकेज में 25% से भी कम काम होना संतोषप्रद नहीं है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा पथ निर्माण कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। तदालोक में संवेदक के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन एम0एम0जी0एस0यू0वाई0 योजनान्तर्गत पथ निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुरूप पूर्ण नहीं किये जाने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक संवेदक M/S Raja Constrution(Regd. No-1250265), Add-Taj Colony, Panchayati khara, Dist-Gaya, Pin-823001 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

P.T.O.

1575

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–303/2025 7307 /पटना, दिनांकः–10.6.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–303/2025 7307 /पटना, दिनांकः–10.6.26

निबंधित

प्रतिलिपि M/S Raja Constrution(Regd. No-1250265), Add-Taj Colony, Panchayati khara, Dist-Gaya, Pin-823001 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–303/2025 7307 /पटना, दिनांकः–10.6.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–303/2025 7307 /पटना, दिनांकः–10.6.26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका सं0–12/वि0–153/2026– 1032 पटना, दिनांक– 19/06/2026

विषयः फर्म **M/S Sunayna & Sons Construction, Prop- Brajmohan pal, Holding No-24, Chaudhary Tola, Mahendru, Patna Pin-800006, Email-anand4u.516@gmail.com** (सूचीबद्धता संख्या–1885/2019, Class-2) लोक स्वा0 प्रमंडल जमुई अंतर्गत हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत जलापूर्त्ति योजनाओं के कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने के कारण क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में फर्म को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत फर्म M/S Sunayna & Sons Construction, Prop - Brajmohan pal (सूचीबद्धता संख्या–1885/2019, Class-2) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई क्षेत्राधीन एकरारनामा सं0–SBD-275/MNNQ/PHED/JAM/2019-20 & SBD-274/MNNQ/PHED/JAM/2019-20 के तहत 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत जलापूर्त्ति योजनाओं का कार्य आवंटित किया गया था।

फर्म के द्वारा एकरारनामा के प्रावधानो के अनुसार आवंटित कार्यो का मरम्मति, संपोषण एवं संचालन कार्य सम्यक् रूप से नहीं करने एवं कार्य में निरंतर उपेक्षा करने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–1917, दि0–09.12.2021, पत्रांक–774, दि0–27.04.2022, पत्रांक–1300 दिनांक–27.07.2022 एवं पत्रांक–2165, दिनांक–18.11.2024 के माध्यम से फर्म को एकरारनामा में निहित शर्तो के अनुरूप योजना के संचालन हेतु निदेशित एवं स्मारित किया गया। परन्तु उक्त निदेशों एवं स्मारों के बाद भी फर्म के द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली गई।

उक्त स्थिति में कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पत्रांक–1234, दिनांक–22.05.2026 एवं अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पत्रांक–291, दिनांक–25.05.2026 से प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–398, दिनांक–26.05.2026 के माध्यम से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के संगत प्रावधानों के तहत फर्म के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–838, दि0–29.05.2026 एवं पत्रांक–881 दिनांक–10.06.2026 के माध्यम से फर्म को सुसंगत साक्ष्यों के साथ आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। परंतु फर्म उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। फर्म के द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित नही किया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन मे उल्लेखित तथ्यों की सम्यक समीक्षा की गई जिससे यह परिलक्षित हुआ कि एकरारनामा के अनुरूप आवंटित कार्य यथा–मरम्मति, संपोषण, एवं संचालन कार्य सुचारू रूप से करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गए निदेशों का फर्म के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है एवं कार्य के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया है। फर्म के द्वारा कार्य में अतिशय शिथिलता बरतने एवं विभागीय निदेशों की निरंतर उपेक्षा के कारण योजना का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 क (II) ''एकरारनामा में विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक'' हेतु M/S Sunayna & Sons Construction, Prop-Brajmohan pal (सूचीबद्धता संख्या–1885/2019, Class-2) को 05 (पांच) वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है।

Black List Office Order

उक्त दण्ड के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (घ) के आलोक में एजेन्सी द्वारा 30 (तीस) दिनों के अन्दर प्रधान सचिव महोदय के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

1573

, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

19.06.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–153 / 2026–1032 पटना, दिनांक– 19/06/2026

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना / बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19.06.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–153 / 2026– 1032 पटना, दिनांक– 19/06/2026

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय) / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

19.06.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12 / वि0–153 / 2026–1032 पटना, दिनांक– 19/06/2026

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई / संवेदक M/S Sunayna & Sons Construction, Prop - Brajmohan pal, Holding No-24, Chaudhary Tola, Mahendru, Patna Pin-800006, Email-anand4u.516@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.06.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–153 / 2026– 1032 पटना, दिनांक– 19/06/2026

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19.06.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

(1572)

Letter no. 1032 dt 19-06-2026 आदेश

secyrcd-bih < secyrcd-bih@nic.in >

Data Centre < datacentre_phed@yahoo.co.in >

Sat, 20 Jun 2026 12:36:46 PM +0530

To "Chief Secretary Bihar"<cs-bihar@nic.in>,"wrd-bih@bih.nic.in"<wrd-bih@bih.nic.in>,"secyrcd-bih@nic.in"<secyrcd-bih@nic.in>,"secy_ruralworks@gov.in"<secy_ruralworks@gov.in>,"secy-plandev-bih@nic.in"<secy-plandev-bih@nic.in>,"urbansec-bih@nic.in"<urbansec-bih@nic.in>,"mdbuidco@gmail.com"<mdbuidco@gmail.com>,"md@buidco.in"<md@buidco.in>,"cgm@buidco.in"<cgm@buidco.in>,"secy-bcd-bih@nic.in"<secy-bcd-bih@nic.in>

Sir,
Please find the attached file.

Data Centre
PHED, Bihar, Patna

1 Attachment(s)

1032 dt 19-06-2026.pdf
901.5 KB

पत्र संख्या : 26/विविध—06—03/2026—

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

:: आदेश ::

श्री ब्रजधारी कुमार, संवेदक के अपील अभ्यावेदन पर आज दिनांक 05.06.2026 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत यह पाया गया कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज के अधीन एकरारनामा संख्या—06SBD/2020-21 (एजेंडा संख्या—159/02/2020) की निविदा में संवेदक, श्री ब्रजधारी कुमार द्वारा निविदा के साथ वर्ष 2014—15 के टर्नओवर संबंधी फर्जी/जाली अभिलेख संलग्न कर निविदा प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय आदेश संख्या—1816 दिनांक 06.04.2026 द्वारा 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

2. उक्त कालीकृत आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सुनवाई की गयी। सुनवाई में संवेदक द्वारा निविदा के साथ संलग्न वर्ष 2014—15, 2015—16 एवं 2016—17 चार्टर्ड टर्नओवर उपलब्ध कराये बिना दंडादेश निर्गत करने को गलत बताया गया, जबकि संवेदक से प्राप्त अभ्योवदन के आलोक में विभागीय पत्रांक—1296 दिनांक 09.03.2026 द्वारा संवेदक को याचित अभिलेख CA Bimal Shatrudhan & Company Charted Accountant द्वारा समर्पित सत्यापन पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए संवेदक का यह कहना कि उनके द्वारा याचित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है, उचित नहीं है।

3. वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय आदेश संख्या—1816 दिनांक 06.04.2026 को यथावत् रखते हुए संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर निष्पादित किया जाता है।

(चन्द्रशेखर सिंह)

सरकार के सचिव

1570

ज्ञापांक :– 26 / विविध–06–03 / 2026 पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपिः– श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो0–जमालपुर लालगंज, जिला–वैशाली, पिनकोड–844121 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–03 / 2026 3351 पटना, दिनांक : 15/6/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–26 / विविध–06–03 / 2026–........................ दिनांक..

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

शुद्धि–पत्र

विभागीय आदेश सं0–26 / विविध–06–03 / 2026 –1816 दिनांक–06.04.2026 द्वारा संवेदक श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो0–जमालपुर लालगंज, जिला–वैशाली, पिनकोड–844121 को 10 वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया एवं संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को विभागीय आदेश सं0–26 / विविध–06–03 / 2026 –3371 दिनांक–17.06.2026 द्वारा अस्वीकृत किया गया। उक्त दोनों आदेश में एकरारनामा सं0–01SBD/2020-21 के स्थान पर एकरारनामा सं0–06SBD/2020-21 अंकित हो गया है।

अतः दोनों आदेश में एकरारनामा सं0–06SBD/2020-21 के स्थान पर एकरारनामा सं0– 01SBD/2020-21 पढ़ा जाय। पूर्व के आदेश की अन्य सभी कंडिकाऐं यथावत् रहेगी।

ह0 / –

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :– 26 / विविध–06–03 / 2026 पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपिः– श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो0–जमालपुर लालगंज, जिला–वैशाली, पिनकोड–844121 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–03 / 2026 3461 पटना, दिनांक :..22/6/26..........

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीयन संख्या
पंजीयन सं० 5840289
दिनांक 01.07.2026

<u>बिहार सरकार</u>
<u>ग्रामीण कार्य विभाग</u>

संवेदक Pawan Tanay Construction (Reg. No. 1230493) Add:- At- West Police Line, P.O+P.S-Rampur, Dist-Gaya, Bihar, Pincode-823001 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक--2173 दिनांक 18.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 17.03.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

27/05/2026

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी Pawan Tanay Construction (Reg. No. 1230493) की ओर से पवन कुमार Add:- At- West Police Line, P.O+P.S-Rampur, Dist-Gaya, Bihar, Pincode-823001 उपस्थित।

प्रस्तुत मामला भवन निर्माण विभाग के अधीन गयाजी जिला अंतर्गत नीमचक बथानी प्रखंड में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की निविदा में संवेदक Pawan Tanay Construction (Reg. No. 1230493) द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक--2173 दिनांक 18.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 17.03.2026 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कालीसूची से मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वीकार्य किया गया कि संदर्भित निविदा मे Cyber Cafe द्वारा भूलवश गलत कागजात अपलोड कर दिया गया है।

पक्षो को सुनने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार के कागजात अपलोड करने के लिए संवेदक स्वयं ज़िम्मेदार होते है चाहे कोई भी कागजात किसी के द्वारा अपलोड किया गया हो।

अतएव अपीलार्थी द्वारा कालीकृत आदेश के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक--2173 दिनांक 18.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए किये गये कालीकृत (Blacklist) आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

1567

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–332 / 2025 7265 / पटना, दिनांक– 09.06.2026

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.06.2026

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–332 / 2025 7265 / पटना, दिनांक– 09.06.2026

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.06.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–332 / 2025 7265 / पटना, दिनांक– 09.06.2026

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

09.06.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–332 / 2025 7265 / पटना, दिनांक– 09.06.2026

नेवधित

प्रतिलिपि– संवेदक Pawan Tanay Construction, (Reg. No. 1230493), Add- At- West Line, P.O+P.S- Rampur, Dist- Gaya, Pincode- 823001 को सूचनार्थ प्रेषित।

09.06.2026

सरकार के उप सचिव

25

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीयन संख्या 5840534
दिनांक 01.07.2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक M/S Brigade Construction (Regd. No-1240101), At-Ramnagar, PO-Polytechnic, PS-Maranga, Dist-Purnea, Pin-854303 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-1863 दिनांक 12.02.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 17.03.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

27/05/2026

आदेश

याचिकाकर्त्ता/संवेदक M/S Brigade Construction, At-Ramnagar, PO-Polytechnic, PS-Maranga, Dist-Purnea, Pin-854303 की ओर से सुरेश प्रसाद सिंह उपस्थित।

प्रस्तुत मामला भवन निर्माण विभाग के अधीन भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर प्रखंड के भतोरिया पंचायत सरकार भवन निर्माण के निविदा में गलत अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किये जाने के कारण विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-1863 दिनांक 12.02.2026 द्वारा संवेदक M/S Brigade Construction (Regd. No-1240101) को अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 17.03.206 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कालीसूची से मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

सुनवाई के क्रम में संवेदक/याचिकाकर्त्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि संबंधित निविदा में कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा भूलवश गलत अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड कर दिया गया है।

पक्षों को सुनने के उपरांत यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार के कागजात अपलोड करने के लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होते हैं चाहे कोई भी कागजात किसी के द्वारा अपलोड किया गया हो।

अतएव, याचिकाकर्त्ता/संवेदक द्वारा कालीकरण आदेश के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए **विभागीय सकारण आदेश संख्या** ज्ञापांक-1863 दिनांक **12.02.2026** द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकरण (**Blacklist**) आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

(1565)

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--14--334 / 2025 7261 / पटना, दिनांक-- 09.06.2026

प्रतिलिपि--अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.06.2026

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--14--334 / 2025 7261 / पटना, दिनांक-- 09.06.2026

प्रतिलिपि-- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.06.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--14--334 / 2025 7261 / पटना, दिनांक-- 09.06.2026

प्रतिलिपि-- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख--सह--अपर आयुक्त--सह--विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

08.06.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--14--334 / 2025 7261 / पटना, दिनांक-- 09.06.2026

निबंधित

प्रतिलिपि-- संवेदक M/S Brigade Construction (Reg. No. 1240101), At-Ramnagar, P.O- Polytechnic, P.S-Maranga, Dist-Purnea, Bihar, Pincode-854303 को सूचनार्थ प्रेषित।

08.06.2026

सरकार के उप सचिव

पंजीयन संख्या 5838272
दिनांक- 30.06.2026

<u>बिहार सरकार</u>
<u>ग्रामीण कार्य विभाग</u>

संवेदक M/S Raja Constrution (Regd. No-1250265), Add-Taj Colony, Panchayati khara, Dist-Gaya, Pin-823001 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-- 7307 दिनांक 10.06.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 22.06.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

आदेश

24.06.2026

याचिकाकर्त्ता / संवेदक M/S Raja Constrution (Regd. No-1250265) की ओर से श्री सूरज कुमार एवं विभाग की ओर से श्री अजय कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज उपस्थित।

प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन एस0एम0जी0एस0यु0वाई0 योजनान्तर्गत 05 (पांच) पैकेज के अंतर्गत पथ निर्माण में समानुपातिक प्रगति नहीं होने के कारण विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-- 7307 दिनांक 10.06.2026 द्वारा संवेदक M/S Raja Constrution (Regd. No-1250265) अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

अपीलार्थी को सुना। अपीलार्थी द्वारा अभियंता प्रमुख के विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक--7307 दिनांक 10.06.2026 Blacklist के revocation का अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उनके द्वारा 5 पैकेज में कार्य कराया जा रहा है तथा नवम्बर में माँगे गये स्पष्टीकरण पर 7 महीने बाद निर्णय लिया गया है जिसमें अद्यतन स्थिति का आकलन नहीं किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी से स्पष्टीकरण माह नवम्बर, 2025 में माँगा गया था, जिसका उत्तर संवेदक द्वारा दिनांक 25.11.2025 को दे दिया गया था, परन्तु तत्पश्चात् अंतिम निर्णय जून, 2026 माह में हुआ जिसमें कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त कर निर्णय लिया गया था।

MIS के वर्त्तमान उपलब्ध प्रतिवेदन (जिसे संचिका में सलंग्न किया जाय) के अवलोकन से वर्त्तमान स्थिति में कार्य में कुछ प्रगति हुई है एवं सभी पैकेजों में कुछ न कुछ कार्य निष्पादन किया गया है। कतिपय पथों में Surface का भी कार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि contract का termination नहीं हुआ है। संवेदक द्वारा लिखित में समर्पित किया गया है कि विषयगत मामले में उनके द्वारा माननीय न्यायालय में दायर याचिका को वापस ले लिया जायेगा।

उपरोक्त परिस्थिति में कार्यपालक अभियंता स्वतंत्र है कि contract के condition के तहत किसी भी विलम्ब के लिए नियमानुसार कार्रवाई करें, परन्तु Blacklisting का दण्ड इस मामले में More than Proportionate प्रतीत होता है।

अतः संवेदक M/S Raja Constrution (Regd. No-1250265), Add-Taj Colony, Panchayati khara, Dist-Gaya, Pin-823001 के विरूद्ध विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक-- 7307 दिनांक 10.06.2026 द्वारा पारित कालीकरण आदेश को विलोपित किया जाता है, परन्तु इन्हें चेतावनी दी जाती है कि contract के अनुसार कार्रवाई करें।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

1563

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–303 / 2025 8243 / पटना, दिनांकः– 24/6/26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 24.06.2026
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–303 / 2025 8243 / पटना, दिनांकः– 24/6/26

निबंधित

प्रतिलिपि M/S Raja Constrution(Regd. No-1250265), Add-Taj Colony, Panchayati khara, Dist-Gaya, Pin-823001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 24.06.2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–303 / 2025 8243 / पटना, दिनांकः– 24/6/26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 24.06.2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–303 / 2025 8243 / पटना, दिनांकः– 24/6/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 24.06.2026
सरकार के उप सचिव

39

प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

संख्याः– 124 दिनांकः– 18/6/26

कार्यालय आदेश

निविदा सूचना संख्या–10/2022–23 के क्रम संख्या–22 के अंतर्गत निविदित कार्य "Construction of 10+2 School Building (G+2), at High School Gayari, Araria (Group No.-SSSM-313)" में गलत अनुभव प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में **संवेदक, Md. Arzoo Choudhary, Add-Pramanik Tola, P.O+P.S-Aabadpur, District-Katihar, Bihar** को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या–245 सह–पठित ज्ञापांक–BSEIDC/FIN/3259/2017-18.9263, दिनांक–09.12.2022 द्वारा 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया था।

BSEIDC के कार्यालय आदेश संख्या–186, सह–पठित ज्ञापांक– BSEIDC/ADMIN/31(III)/ 2011-5712, दिनांक–19.06.2025 द्वारा लागू नयी निबंधन नियमावली में प्रासंगिक कदाचार के लिए 03 वर्षो की सीमा निर्धारित की गयी है।

संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC संख्या–918/2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं BSEIDC द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–186, सह–पठित ज्ञापांक–BSEIDC/ADMIN/31(III)/2011-5712, दिनांक–19.06.2025 के आलोक में संवेदक के कालीकरण की अवधि को 10 वर्षो से घटाकर 03 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कालीकरण आदेश के निर्गत करने की तिथि से अबतक 03 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

अतः उक्त आलोक में **संवेदक, Md. Arzoo Choudhary, Add-Pramanik Tola, P.O+P.S-Aabadpur, District-Katihar, Bihar** को कालीकरण से मुक्त किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/7823/2026- पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि–**"संवेदक, Md. Arzoo Choudhary, Add-Pramanik Tola, P.O+P.S-Aabadpur, District-Katihar, Bihar" Mob No.-9801272109, Email Id-arzoo123456@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/7823/2026- पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपिः–सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता/वरीय लेखा पदाधिकारी/निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/7823/2026- 4538 पटना, दिनांक– 18/6/26

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0

7, सरदार पटेल मार्ग–पटना–15

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/ 139	Dt ..08/06/2026	Page No..../...

|| कार्यालय आदेश ||

कार्य प्रमंडल, आरा, बिहार राज्य पुल निगम लि0 के अधीन बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर–बरूणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC-70A पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण कार्य संवेदक Pramod Kumar Singh, At- Bansa, P.O.- Karwandiya, P.S. – Sasaram, District- Rohtas, Pin- 821305 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि दिनांक–25.10.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक–24.01.2024 था।

उल्लेखनीय है कि कि रेलवे ऊपरी पुल का कार्य निर्माणाधीन है। इसमें रेलवे ऊपरी पुल एवं Viaduct का निर्माण पूर्ण कर यातायात के लिए एक माह पूर्व खोला गया। दिनांक–05.06.2026 को बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर–बरूणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC-70A पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के एक Span में एक तरफ के Expansion Joint के पास Slab क्षतिग्रस्त हो गया।

इसी बीच श्री हरेराम राम, कनीय अभियन्ता, अवर प्रमंडल, बक्सर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा दिनांक–06.06.2026 को संवेदक द्वारा बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष, मुफसील थाना, बक्सर से F.I.R. दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया। उनके द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक मे संवेदक के विरूद्ध मुफसील थाना, बक्सर द्वारा थाना काण्ड संख्या–166/26 दिनांक–06.06.2026 दर्ज कर लिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि इस कार्यालय के पत्रांक–1401 दिनांक–05.06.2026 एवं स्मारित पत्र संख्या–1416 दिनांक–08.06.2026 द्वारा संवेदक Pramod Kumar Singh से उपरोक्त कार्य में बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के कारण स्पष्टीकरण की पृच्छा किया गया। तद्आलोक में संवेदक द्वारा अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक–06.06.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो मान्य योग्य नही पाया गया है।

उपरोक्त के आलोक में संवेदक द्वारा कार्य में बरती गयी अनियमितता एवं लापरवाही के कारण संवेदक Pramod Kumar Singh, At- Bansa, P.O.- Karwandiya, P.S. – Sasaram, District- Rohtas, Pin- 821305 को निगम के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 9(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 के कंडिका 8, 1(b) के तहत 15 वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक–../पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः– सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक–../पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः– Pramod Kumar Singh, At- Bansa, P.O.- Karwandiya, P.S. – Sasaram, District- Rohtas, Pin- 821305 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।
कृ0पृ0प0.............

ज्ञापांक–../पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः–बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

1560

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक–..........1426........../पटना, दिनांक–....08/06/2026....

प्रतिलिपिः– अभियन्ता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

8.6.26

प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

08.06.2026

(1559)

पत्र संख्या–26 / विविध–06–10 / 2026–........................... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या 5825283 दिनांक 25.06.2026

सचिव, पथ निर्माण विभाग का गोपनीय कोषांग 6503 25 JUN 2026 बिहार, पटना

आदेश

संवेदक मशरूम अहमद, एस. कंस्ट्रक्शन के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सुनवाई की गयी, सुनवाई में संवेदक प्रतिनिधि मो0 सलाम खान उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखे। संचिका के अवलोकनोपरांत पाया गया कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय अंतर्गत एकरारनामा सं0–01SBD/2025-26 दिनांक–10.06.2025 (एजेण्डा सं0–225 / 06 / 2025) के तहत संवेदक को कार्य आवंटित किया गया। संवेदक द्वारा उक्त कार्य प्राप्त करने के लिए जाली NSC/TD एवं फर्जी कार्यानुभव प्रमाण पत्र का सहारा लिया गया, जिसके लिए संवेदक के विरूद्ध दलसिंहसराय थाना, जिला–समस्तीपुर में FIR सं0–452 / 2025 दिनांक–19.11.2025, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय द्वारा दर्ज कराया गया एवं संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गयी।

2. संवेदक के विरूद्ध प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करते हुए विभागीय आदेश सं0–1206 दिनांक–26.02.2026 द्वारा संवेदक को 10 वर्षों के लिए कालीसूची में डाला गया। उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुए कालीकरण आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

3. संवेदक से प्राप्त अपील अभ्यावेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपील अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में समर्पित किया गया था।

4. संवेदक से प्राप्त अपील अभ्यावेदन में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य / तथ्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए जाली NSC/TD एवं फर्जी कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

5. अतएव विभागीय आदेश सं0–1206 दिनांक–26.02.2026 द्वारा निर्गत कालीकरण आदेश को यथावत रखते हुए संवेदक मशरूम अहमद, एस. कंस्ट्रक्शन, प्रो0–मो0 साने आली, ग्राम–अलीनगर, पो0–औरंगाबाद द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

अ०स०(का०नि०) निदेशानुसार सूचना 25.06.2026

2707 30/06/26

मु० अ०(अ०) 30/06/26

अ० अ०(सं०) 01/7/26

2269 06/7/26

ह०/-
(चंद्रशेखर सिंह)
सरकार के सचिव

1558

ज्ञापांक :– 26 / विविध–06–10 / 2026 पटना / दिनांक :...

प्रतिलिपिः– संवेदक मशरूम अहमद एस0 कंस्ट्रक्शन, प्रो0–मुहम्मद साने अली, ग्राम–अलीनगर, पो0–औरंगाबाद, बिहार, पिन–824101 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–10 / 2026 3468 पटना, दिनांक : 22.06.2026

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

संo संo- प्र0-3/ल0ज0सं0(अपील)-45/2026

विषयः- संवेदक श्री सचिन कुमार सिंह, ग्राम+पो0- पवार, थाना- पावना, जिला-भोजपुर (आरा) के अपील अभ्यावेदन के संबंध में ।

आदेश

संवेदक श्री सचिन कुमार सिंह, ग्राम+पो0-पवार, थाना-पावना, जिला-भोजपुर (आरा) (निबंधन सं0-MWRD1124C1IN5017 श्रेणी-1) द्वारा मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना कार्यालय के आदेश सं0-20 सह-पठित ज्ञापांक-422 दिनांक-19.03.2026 के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन दिनांक-17.04.2026 को समर्पित किया गया है ।

2. लघु सिंचाई प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2025-26 के ग्रुप सं0-01 भैंसहा नदी पर गेटेड वीयर का निर्माण कार्य की निविदा में संवेदक श्री सचिन कुमार सिंह द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करने के कारण मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश सं0-20 सह-पठित ज्ञापांक-422 दिनांक-19.03.2026 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 की कंडिका-11 की उप कंडिका-vii एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0-154 दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 की उप कंडिका-4 के तहत 10 वर्षों के लिए कालीकृत कर दिया गया ।

3. उक्त अपील अभ्यावेदन पर दिनांक-01.06.2026 को सुनवाई की गयी, जिसमें अपीलकर्ता एवं मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना उपस्थित रहें । सुनवाई के उपरान्त निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-3535 दिनांक-01.06.2026 द्वारा अन्तिम रूप से अपीलकर्ता को एक अवसर प्रदान करते हुए दो दिनों के अन्दर अपना पक्ष अभ्यावेदन के माध्यम से रखने हेतु निदेश दिया गया ।

3. तदालोक में अपीलकर्ता श्री सिंह द्वारा अभ्यावेदन दिनांक-03.06.2026 को समर्पित किया गया, जो मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-948 दिनांक-11.06.2026 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया ।

4. अपीलकर्ता ने अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि भैंसहा नदी पर गेटेड वीयर योजना का निर्माण कार्य हेतु निविदा डालने की अन्तिम तिथि 26.09.2025 थी । उनके द्वारा EPROC-02 पर सईबर कैफे के माध्यम से निविदा डाला गया था । साईबर कैफे के द्वारा दिनांक-25.09.2025 को टेन्डर में सभी कागजात अपलोड किया गया, जिसके कारण उनके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर उसी के पास टेन्डर के अग्रधन की राशि के भुगतान हेतु उसी के पास छोड़ दिया गया । दिनांक-26.09.2025 को अग्रधन की राशि बैंक के माध्यम से चालान बनाकर साईबर कैफे को भेज दिया गया । टेन्डर अपलोड करने की अन्तिम दिन रहने के कारण वे आरा से पटना नहीं जा सका, जिसके कारण उनकी जानकारी और सहमति के बगैर साईबर कैफे द्वारा किसी और संवेदक के बहकावे में आकर उन्हें फसाने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र तैयार कर निविदा में डाल दिया गया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी । इसकी जानकारी हुई उसी वक्त उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बक्सर को दूरभाष पर सूचना दी और अपना निविदा रद्द करने का निवेदन भी किया गया । उनके द्वारा अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि साईबर कैफे के गलती के कारण पूर्व में भी बहुत से निविदा में बाहर हो चुका हूँ ।

5. उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता/संविदक द्वारा उक्त निविदा में संलग्न किये गये अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता की जाँच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बक्सर द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पिरो से कराये जाने के क्रम में पत्रांक-1579 दिनांक-11.10.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निविदा में संलग्न किये गये अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है ।

6. संविदक/याचिकाकर्ता द्वारा उक्त निविदा में फर्जी कागजात संलग्न कर इन्कार किया जाना कि फर्जी कागजात उनके द्वारा संलग्न नहीं कर साईबर कैफे द्वारा किसी और संविदक के बहकावे में आकर उन्हें फसाने के लिए निविदा में डाल दिया गया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, मान्य नहीं किया जा सकता है । निविदा में फर्जी कागजात संलग्न किया जाना अपराधिक कृत्य के साथ-साथ निविदा शर्तों का उल्लंघन है ।

अतएव संविदक/अपीलकर्ता श्री सचिन कुमार सिंह के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना कार्यालय के आदेश सं0-20 सह-पठित ज्ञापांक-422 दिनांक-19.03.2026 द्वारा उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत करने संबंधी निर्गत आदेश को यथावत् रखने का निर्णय लिया जाता है ।

24/06

(बी0 कार्तिकेय धनजी)
(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक:-4180 /पटना, दिनांक:- 24/06/26

प्रतिलिपि:- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/06

(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक:- 4180 /पटना, दिनांक:-24/06/26

प्रतिलिपि:- स्पीड पोस्ट- संविदक श्री सचिन कुमार सिंह, ग्राम+पो0- पवार, थाना-पावना, जिला-भोजपुर (आरा), पिन कोड-802201 (मो0-9162565652), ई-मेल-sachinkumarsingh390@gmail.com/मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/06

(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

D Alok/CWJC 2026

4180 dt 24.06.26.pdf

secyrcd-bih < secyrcd-bih@nic.in >

MWRD Bihar, Patna < mwrdbiharpatna@bihar.gov.in >

Thu, 25 Jun 2026 4:42:50 PM +0530

To "Engineer in Chief"<encph@nic.in>,"RCD Secyrcd-bih"<secyrcd-bih@nic.in>,"WRD Bihar"<wrd-bih@nic.in>,"Rural Works Department Secyreobihar"<secy-reo-bih@nic.in>,"UD HD"<urbansec-bih@nic.in>,"Secretary BCD"<secy-bcd-bih@nic.in>,"chairman"<chairman@brpnn.co.in>,"md"<md@brpnn.co.in>,"sachinkumarsingh390"<sachinkumarsingh390@gmail.com>,"Shashi Bhushan Choudhary"<ce.pmg-bih@gov.in>,"Executive Engineer Ara MWRD Bihar"<eeara-mi-bih@nic.in>

Please find the attached file.

Minor Water Resources Department

लघु जल संसाधन विभाग

1 Attachment(s)

4180 dt 24.06.26.pdf

781.3 KB